पाठ 23

यातायात सुरक्षा

Road Signs (सड़क सूचना चिह्न)

यातायात को नियोजित व नियंत्रित करने हेतु सड़क के किनारे कुछ चिह्न लगे होते हैं, जो चालकों को क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, इस हेतु निर्देशित करते हैं। इन्हें द्वितीयक पुलिस भी कहा जाता है। आमतौर पर ये सूचना चिह्न वाहन चालकों के सफर में मददगार होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं :–

(1) आदेशात्मक सड़क चिह्न (Mandatory signs) (2) चेतावनी सूचक सड़क चिह्न (Cautionary signs)

(3) सूचनात्मक सड़क चिह्न (Informatory signs)

आदेशात्मक सड़क चिह्न (Mandatory signs)

आदेशात्मक सड़क चिह्न गोल आकृति, लाल रंग वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं। 'रुकिए' हेतु अष्टभुजाकार और 'रास्ता दीजिए' हेतु त्रिकोणीय होते हैं। इन चिह्नों के उल्लंघन पर जुर्माना या दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है :–

रुकिए STOP	रास्ता दीजिए GIVE WAY	प्रवेश निषेध NO ENTRY	पैदल यात्री निषेध PEDESTRIAN PROHIBITED	हार्न/ध्वनि निषेध HORN PROHIBITED

चेतावनी सूचक सड़क चिह्न (Cautionary signs)

यह चिह्न ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों/परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन अवश्य करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिह्नों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती, किन्तु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। चेतावनी सूचक सड़क चिह्न लाल रंग के त्रिकोणीय आकृति में होते हैं :–

संकरा पुल Narrow Bridge	फिसलन भरी सड़क Slippery Road	बिखरी बजरी Loose Gravel	साईकिल क्रॉसिंग Bicycle Crossing	पैदल क्रॉसिंग Pedestrian Crossing

सूचनात्मक सड़क चिह्न (Informatory signs)

सड़क किनारे स्थित आवश्यक संस्थानों एवं स्थानों की सूचना देने के लिए सूचनात्मक सड़क संकेत बने होते हैं। इन्हें नीले रंग में आयताकार बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है :–

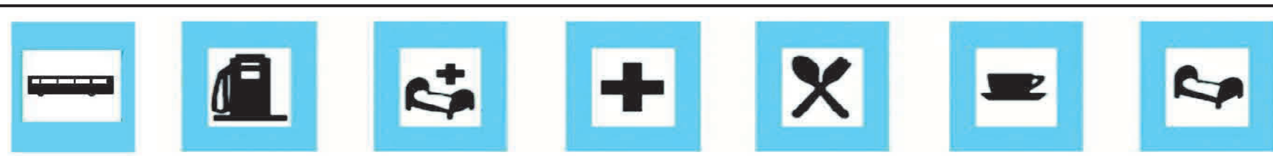

बस स्टॉप Bus Stop	पेट्रोल पम्प Petrol Pump	अस्पताल Hospital	प्राथमिक उपचार केन्द्र First Aid Post	भोजन स्थान Eating place	अल्पाहार(जलपान) Light Refreshment	विश्राम स्थल Resting Place

स्वच्छता के जरिए स्वास्थ्य की ओर एक कदम

1. हाथ अच्छी तरह धोकर ही भोजन ग्रहण करें।
2. खुले में रखे भोज्य पदार्थों का सेवन न करें।
3. घर के सामने कचरा न फेकें।
4. कचरा कूड़ेदान में ही डालें एवं बंद कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
5. इधर–उधर मल–मूत्र विसर्जित न करें न ही थूकें, इस हेतु शौचालय का इस्तेमाल करें।
6. सड़क पर भूल से भी केले का छिलका अथवा चिकनाई वाला पदार्थ न डालें।
7. घरों के आस–पास पानी एकत्र न होने दें एवं एकत्र पानी के निकासी का बंदोबस्त करें।
8. जलाशयों में समय–समय पर पोटाश, क्लोरिन, फिटकरी आदि डालें ताकि पानी पीने योग्य रहे।
9. सूखे कचरों को एकत्र कर जला दें।
10. प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करें।
11. सार्वजनिक भोज में प्रयुक्त पत्तल, ग्लास आदि को यहाँ–वहाँ न फेकें।
12. किसी भी तरह की नशीली वस्तुओं का सेवन न करें।
13. टीकाकरण हेतु हमेशा नई सुई का ही इस्तेमाल करें।
14. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी निर्देशों का पालन करें एवं उनके द्वारा मुहैया कराए गए सुविधाओं का लाभ उठाएँ।
15. स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।